

राज्य सरकार
 विधि विभाग



विद्यमान अधिष्ठापक अधीनान्त में अपनी बहस में अधील में अंकित तथ्यों को दोहराते

कर मूल अधील में अधिष्ठापक अधीनान्त एवं राजकीय प्रेरक की बहस सूची गई।
 परिशीला अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस को सूची गया एवं न्यायद्वित में प्रार्थना पत्र स्वीकार
 समन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की प्रभावही तलब की गई। प्रार्थना पत्र दफा 5
 प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रैस्पॉन्डेंट जॉरिफ

हुए निरस्त किये जाने हेतु अधील प्रस्तुत की है।

ने नायब तहसीलदार दूनी के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बनाने
 3 माह के स्थिति कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। अधीनान्त
 बंदखल करने, निर्धारित लगान 12.00 रु. का 50 गुणा वर्माना कुल 600 रु. जमा करने तथा
 कर अतिक्रमण करने एवं पेशवातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अधीलान्त को भी से
 नंबर 485 रकबा 1.50 हेक्टर किस्म धारणाह बाक ग्राम जलसीना तहसील दूनी पर कब्जा
 तहसीलदार दूनी ने अपने आदेश दिनांक 30.10.2025 के द्वारा अधीनान्त को आराजी खसरा
 अधील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब

दिनांक 30/10/25

निर्णय

(2) श्री मजहर आलम, राजकीय प्रेरक रैस्पॉन्डेंट

उपस्थिति : (1) श्री शिवराज टाण्डी, अधिष्ठापक अधीनान्त

पत्रावली सं. 104/2025

विषय निर्णय नायब तहसीलदार दूनी निर्णय दिनांक 30.10.2025

अधीन अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान सौ राजस्व अधिनियम 1956

रैस्पॉन्डेंट.....

नायब तहसीलदार दूनी, तहसील दूनी जिला टोंक राज

बनाम

.....अधीनान्त

टोंक राज.

रामकिशन पुत्र जगन्नाथ भीमा निवासी जलसीना, तहसील दूनी जिला

09/2026

05.01.2026

05/2026

जीसीएमएस नं.


प्रतिदि दिनांक

प्रकरण संख्या

(रामरतन साँकरिया, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

702
 2025
 2025



अपीलान्ट के विहित अभिमाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय प्रेकोर ने कथन किया कि अपीलान्ट को विधि अनुसार जारिय नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामील हुई है। अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 485 रकबा 1.50 हैक्टयर किसम थारानाहा बाके गाम जलसीना तहसील दूनी पर संवत् 2082 फसल खरीफ में बाजरा की फसल बुवाई कर कर भूमि पर अनाधिकृत अधिकरण किया था। उक्त अधिकृत भूमि की किसम थारानाहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में विहित सावधानिक उपयोग की प्रतिबन्धित राजकीय भूमि है। पटवारी हलका की रिपोर्ट से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर डेससे पूर्व भी अधिकरण किया था। अधिकारी सरकारी भूमि पर बार बार अधिकरण करने का आदेश है, उपलब्ध दस्तावेजों का पश्चातवर्ती अधिकारी द्वारा सिद्ध है। सावधानिक उपयोग की भूमियों को

तहसीलदार दूनी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2025 को निरस्त करमाया जावे।
 कर दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नाथब मौके पर अब अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र भी पेश उक्त आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्ट ने अपना कब्जा हटा लिया है और को आधार बनाकर तहसीलदार द्वारा साजयाब करने में गलती की है।

अपीलान्ट का उक्त आराजी पर कोई पश्चातवर्ती कब्जा भी साबित नहीं है। अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष जो पटवारी द्वारा जो बयान लेखबद्ध कराये गये हैं वे एक फॉर्मेट में नाम पते भर कर दिये गये हैं ऐसे बयान साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं होते हैं तथा नाथब तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हलका से अपीलान्ट को विरह का अवसर नहीं दिया और पटवारी हलका द्वारा अपीलान्ट का मौके पर उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होने के उपरान्त भी दुर्भावना पूर्वक उक्त भूमि के कब्जे की रिपोर्ट की है और उस रिपोर्ट

उपरान्त ही निर्णय पारित किया जाता।
 होने के बावजूद कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है अथवा नहीं, कब्जा साबित होने के अधीनस्थ नाथब तहसीलदार को मौके पर जाकर मौका निरीक्षण कर यह भली भांति साबित नहीं मगावाड़े और न मौके का निरीक्षण किया। जबकि विधि अनुसार निर्णय पारित करने से पूर्व निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार ने उक्त भूमि की मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट करने का अवसर दिए बिना ही अपीलान्ट के विरुद्ध एकतरफा में निर्णय पारित किया है। दण्डित करने में कानूनी गलती की है। इस प्रकार अपीलान्ट को सनवाड़े व साक्ष्य सर्वत पेश रूप से व्यक्तित्व: तामील नहीं करवायी। बिना तामील के अपीलान्ट को उक्त कठोर निर्णय से करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया और नोटिस दिया जाकर उसकी विधिवत प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित

का
 आचार्य
 (विश्वविद्यालय)
 720



आज दिनांक 30.10.2025 को खले न्यायालय में सुनाया गया।

कर्नाती कथावादी की जावेगी।

मैंने अथवा अन्य किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर अपारत की जाती है। अपील को हिरासत दी जाती है कि यदि उसके द्वारा मविष में उक्त दण्ड को थपाने रखा जाता है, परन्तु अपील को दी गई स्थिति कारवाय की सजा नाथ तहसीलदार दूनी के निर्णय दिनांक 30.10.2025 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ फलतः अपील अपीलान्त आधिकार रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय

उचित प्रतीत होता है।

हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना पड़ी हुई है। उक्त अतिक्रमी द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण एवं कब्जा कायम नहीं किया कि अतिक्रमी द्वारा उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया है, वर्तमान में मौके पर भूमि खाली दूनी में मौका रिपोर्ट पत्र क्रमांक 197 दिनांक 11.03.2026 से प्रेषित की जिसमें अंकित किया है हेतु नाथ तहसीलदार दूनी से कब्जा संबंधी मौका रिपोर्ट तालब की गई। नाथ तहसीलदार लेने व मविष में पुनः कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र पेश किया था जिसकी सत्यता की जांच नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है। अपीलान्त ने अतिक्रमण भूमि से अपना कब्जा हटा की पत्रवाली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रवाली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय हमने अभिमाषक अपीलान्त व राजकीय प्रोकार की बहस को सुना एवं बहस पर

एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

अतिक्रमण से मुक्त करया जाना नितान्त आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही